न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारीः श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 28/2024

बउनवान

कविता आयु 32 वर्ष पुत्री शंकर लाल पत्नी श्री पवन जाति बैरवा निवासी ग्राम आमापुरा तह0 बारां हाल निवासी ग्राम खातोली कडैयाबन तहसील छबडा जिला बारां राज० **अपीलांट**

बनाम

1. अजय पुत्र श्री शंकर लाल
2. आशा पुत्री श्री शंकर लाल
3. कान्ति बाई पत्नी श्री शंकर लाल
4. प्रभावती पुत्री श्री शंकर लाल
5. ललित पुत्र श्री शंकर लाल
6. कन्हैया लाल पुत्र श्री गोपाल
7. कैलाश पुत्री श्री गोपाल
8. रामनाथी पुत्री श्री गोपाल
9. कमला बाई पत्नी श्री केशव
10. चौथमल पुत्र श्री केशव
11. प्रसिला पुत्री श्री केशव
12. रेखा पुत्री श्री केशव
13. संगीता पुत्री श्री केशव जाति बैरवा निवासीगण आमापुरा तहसील व जिला बारां राज०
14. राज० सरकार जरिये तहसीलदार बारां जिला बारां **रेस्पोडेन्टगण**

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 649 दिनांक 10.06.2014

उपस्थितः 1. श्री धर्मेन्द्र सिंह चौधरी अभिभाषक (अपीलांट)

निर्णय दिनांक 01.09.2025

अपीलांट की ओर से जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट के शामलाती खातेदारी की आराजियात वर्तमान खाता संख्या 37 पुराना 40 मे वर्णित खसरा नं0 150 रकबा 1.63 हेक्टर किस्म माल 1 लगानी 24.45 रूपया, खसरा नं0 31 रकबा 2.31 हेक्टर किस्म माल 1 लगानी 34.65 रूपया, खसरा नं0 532 रकबा 0.04 हेक्टर किस्म खेडा लगानी 0.72 रूपया कुल 3 किता कुल रकबा 3.98 हेक्टर कुल लगानी 59.82 रूपया माल ग्राम आमापुरा पटवार हल्का कलमण्डा तहसील बारां जिला बारां राज० स्थित है जो पूर्व मे अपीलान्ट के दादाजी गोपाल पुत्र श्री पून्या जाति बैरवा निवासी ग्राम आमापुरा के नाम खातेदारी राजस्व रिकार्ड मे दर्ज थी जिसमे अपीलान्ट के दादाजी गोपाल व पिता शंकर लाल जी की मृत्यु उपरान्त तहसीलदार बारां द्वारा मृतक गोपाल व शंकर लाल की मृत्यु के बाद खोले गये इन्तकाल संख्या 649 दिनांक 10.06.2024 मे अपीलान्टा का नाम कविता के स्थान पर कलावती गलत [illegible] कर दिया गया जबकि अपीलान्टा का वास्तविक नाम कविता पुत्री श्री शंकर लाल जाति बैरवा निवासी आमापुरा तहसील बारां जिला बारां है इसलिये रेस्पोन्डेन्ट 14 द्वारा खोला गया इन्तकाल निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्टा का वास्तविक नाम कविता है जिसकी पुष्टि अपीलान्टा के राशन कार्ड,

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.10.01 12:40:17 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाराँ (राज०)

पहचान पत्र, जनआधार कार्ड, आधार कार्ड व शैक्षणिक दस्तावेज से होती है। अपीलान्टा का नाम कविता के स्थान पर कलावती जमाबन्दी मे गलत दर्ज होने से अपीलान्टा सरकारी योजना का लाभ प्राप्त करने से वंचित हो रही है तथा अपीलान्टा को कई प्रकार की परेशानीयो का सामना करना पड रहा है इस कारण जमाबन्दी अपीलान्टा का नाम कलावती के स्थान पर कविता दर्ज किया जाना विधि संगत एवं न्यायहित मे होगा। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तहसीलदार बारां द्वारा खोला गया इन्तकाल नं0 649 दिनांक 10.06.2014 निरस्त किया जाकर अपीलान्टा नाम राजस्व रिकार्ड मे कलावती के स्थान पर कविता दर्ज किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट्स को तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट्स बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर हमने एकपक्षीय बहस अभिभाषक अपीलांटा की सुनी।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांटा ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि अपीलांटा का नाम समस्त सरकारी दस्तावेजात यथा परिवार राशन कार्ड, पहचान पत्र, जन आधार कार्ड, आधार कार्ड एवं शैक्षणिक दस्तावेजात में अपीलांटा का नाम कविता अंकित है, लेकिन इंतकाल खोलते समय कविता के स्थान पर कलावती दर्ज कर दिया गया। इस कारण अपीलांटा को सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने से वंचित होना पड़ रहा है। अतः अपील अपीलांटा स्वीकार की जाकर इन्तकाल नं0 649 दिनांक 10.06.2014 निरस्त किया जाकर अपीलांटा का नाम राजस्व रिकार्ड में कलावती के स्थान पर कविता दर्ज किये जाने के आदेश फरमावें। अपने कथन के समर्थन में अभिभाषक अपीलांटा ने सहखातेदार एवं अपीलांटा की मां कान्ती बाई पत्नि शंकरलाल जाति बैरवा निवासी आमापुरा का शपथ पत्र पेश किया। चूंकि अपीलांटा का नाम ग्राम आमापुरा का इन्तकाल नं0 649 दिनांक 10.06.2014 खोलते समय कविता के स्थान पर कलावती दर्ज हो गया है तथा अपीलांटा द्वारा प्रस्तुत अपील की पुष्टि सहखातेदार एवं अपीलांटा की मां कान्ती बाई पत्नि शंकरलाल जाति बैरवा निवासी आमापुरा के शपथ पत्र से होती है। परिणामस्वरूप अपीलांटा की अपील स्वीकार किये जाने योग्य पाई जाती है।

परिणामस्वरूप अपील अपीलांटा स्वीकार की जाकर ग्राम आमापुरा का नामान्तकरण संख्या 649 दिनांक 10.06.2014 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस दिशानिर्देश के साथ तहसीलदार बारां को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में बाद जांच पुनः नये सिरे से नामान्तकरण दर्ज करें।

निर्णय आज दिनांक 01.09.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर, बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.10.01 12:40:17 IST
Reason: SelfAttested